(14)

संख्या–ई–8– ९५१/दस–2009–89/20

प्रेषक,

मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त(व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–8 लखनऊ : दिनॉक ०९ जुलाई, 2009

विषय :–शासकीय निर्माण कार्यो के सम्पादन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ0प्र0 विधायन एवं शीतगृह संघ लिमिटेड(पैक्सफेड) को राजकीय निर्माण एजेन्सी नामित किये जाने विषयक शासनादेश संख्या–ई–8–1609/दस–06 –89/2004, दिनॉक 22 नवम्बर, 2006 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर–2 एवं पृष्ठांकन कमांक–10 में अंकित उ0प्र0 विधायन एवं शीतगृह संघ लिमिटेड(पैक्सफेड) के स्थान पर उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ पढ़ा जाय।

2– शासनादेश दिनॉक 22 नवम्बर, 2006 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

3– शासनादेश दिनॉक 22 नवम्बर, 2006 की शेष शर्ते यथावत लागू रहेगीं।

भवदीय,

मनजीत सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या—ई—8— 836 (1)/दस—2009—तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— आयुक्त,उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद।
2— प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
3— मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ0प्र0।
4— प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उ0प्र0।
5— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम, लिमिटेड।
6— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सेतु निगम, लिमिटेड।
7— प्रमुख अभियन्ता सिचांई विभाग, उ0प्र0।
8— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड।
9— निदेशक, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
10— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 लखनऊ
11— वित्त विभाग के समस्त अधिकारी तथा अनुभाग।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार जोशी
उप सचिव।